

Recd
29/9/18
3:15 PM


कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।
प्र० आ० सं०—

दिनांक : मार्च 23, 2018

आदेश


सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद को एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में स्थित जे.आई.सी. भवन के समक्ष उपलब्ध सार्वजनिक स्थान पर प्रोजेक्टर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता एवं लोक अदालत से सम्बन्धित वीडियो वादकारियों के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ तत्काल प्रभाव से प्रसारित कराये जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराये। साथ ही साथ वादकारियों के बैठने के लिये आवश्यक उपस्कर भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

तदनुसार, सभी सम्बन्धित सूचित हों।


(संजय कुमारी पंचौरी)
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
जनपद न्यायाधीश
इलाहाबाद।

प्रतिलिपि :

1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
2. प्रभारी अधिकारी, प्रशासन
3. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर सेन्टर, जनपद न्यायालय, इलाहाबाद.


प्रशासनिक लिपिक
जनपद न्यायालय, इलाहाबाद।